



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ-206001

संख्या: 1301/उ०नि०लि०/2009-10(मा०सं०-04)/2006,

दिनांक: 06 अगस्त, 2009

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-10124/2009 में पारित किये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निगमीय आवासों में अध्यासन बनाये रखने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित आदेश किये जाते हैं:-

1. सेवानिवृत्ति के पश्चात् आवासीय सुविधा के लिये तत्कालीन उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् का कार्यालय ज्ञापन सं० 5942-(A)24-AS/SEB-VII/76-39SA/76 दिनांक जुलाई 17, 1976 यथावत् लागू रहेगा जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह तक सामान्य किराये पर तथा तदोपरान्त अधिकतम तीन माह की अवधि तक मानक किराये पर आवासीय सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
2. जो निगमीय कार्मिक सेवा निवृत्त हो गये हैं परन्तु प्रस्तर-1 में निर्धारित समय सीमा में आवास खाली नहीं करते हैं उनसे निगम आदेश सं० 965/मा०सं०(4)/उ०नि०लि०/2008-10-मा०सं०(04)/2006 दिनांक-04 जून, 2008 में निहित प्राविधानानुसार उपर्युक्त अवधि के पश्चात् वर्तमान फ्लैट रेंट के 10 गुने की दर से दायिज्ज किराया वसूला जायेगा।

पूर्व में निर्गत निगमादेश संख्या-33/उनि०लि०/औ०सं०/पेन्शनर, दिनांक 12.10.2001 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1301/उ०नि०लि०/2009-10(मा०सं०-04)/2006,

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०नि०लि०, 7वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
3. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 9वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०नि०लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), मुख्यालय एवं सभी परियोजनाएँ, उ०नि०लि०।
7. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण)ए कक्ष संख्या 906, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
10. मुख्य प्रबन्धक (कैश मैनेजमेंट यूनिट), उ०नि०लि०, 7वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०।
12. लेखाधिकारी, वेतन एवं लेखा, उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस०के० सक्सेना)

महाप्रबन्धक (मा०सं०)